

प्रपत्र-2.1

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

FP/VK/ROB/19786/216

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान- **बगोसू निवड़ी घेत खिलंगी मोटर मार्ग**

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - **उत्तराखण्ड**
- ii) जिला - **चमोली**
- iii) वन प्रभाग - **बड़ीनाथ वन प्रभाग, गौपेश्वर**
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) - **3.09 है.**
- v) वन की कानूनी स्थिति - **अगरफैट भूमे, वन पंचायत, ग्रिबिल वन,**
- vi) हरियाली का प्रभाव - **0.3**
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिवाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफओआरएलओ - 8 मोड पर परिगणना भी संलग्न किए जाए - **प्रस्ताव में संलग्न**
- viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - **भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार**
- ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - **0.200 किमी.**
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बाईन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाए) - **नहीं**
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाल की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। - **नहीं**
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/स्था प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सहित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो या - **नहीं**
- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जाये गर विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। - **हां**
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर ली गये कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है। - **नहीं**

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - प्रस्ताव में संलग्न
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - प्रस्ताव में संलग्न
- iii. संपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्य-व्यय एजेंसी, समय अनुसूची लागत आदि। - प्रस्ताव में संलग्न
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय। - प्रस्ताव में संलग्न
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से संक्षेप प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। - प्रस्ताव में संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

- संलग्न

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- 803000 ha

i. जिला का वन क्षेत्र।

- 514792 ha

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से

वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। - 3091.98 ha

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

- 5739.80 ha

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

- 616 भागों

(ख) वनेत्तर भूमि पर

31/12/2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुये प्रगति

(क) वन भूमि पर - 4250.96 ha

(ख) वनेत्तर भूमि पर - 132.71 ha

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

- जर्नल में संदर्भ की जाती है।

दिनांक 27/12/16

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर

नाम

(रवि रत्न पाण्डेय)

उप वन संरक्षक

संयोजित प्रभाग गोपेश्वर